

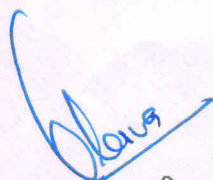
प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-1017/23 कोर्ट केस, दिनांक-11.11.2011 के अनुसार वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित
प्रमाण पत्र

जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग रा0मा0सं0-92 के किमी0-74.700 से 77.950 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 5.345 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त कोई अन्य चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

स्थान- आगरा

दिनांक-20-6-2022


(हरि किशोर शुक्ला)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्युरी, इटावा रेंज
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्युरी प्रोजेक्ट
रेन्ज- इटावा (उ.प्र.)


(दिवाकर प्रसाद श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्युरी प्रोजेक्ट,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्युरी प्रोजेक्ट
उ0प्र0, आगरा।